# फर्द अहकाम

जयराम बनाम गोविन्द बिल्ड प्रोजेक्ट एल.एल.पी. वगै

[illegible] संख्या 173 /2023 दावा

| क्रम संख्या | दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 29.12.2023 | वकील वादी ने दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 12.01.2024 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | नोटिस जारी<br>2/1/24<br>4/1/24 |
| | 12/1/24 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा अन्य कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य मे व्यस्त है। अत. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/3/24 को पेश हो। | |
| | 7/3/24 | पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] है। अत पत्रावली [illegible] दिनांक 24/4/24 को पेश हो। | |
| | 24/4/24 | पत्रावली [illegible] अन्य राज [illegible] पी0ओ0 साहब [illegible] है। अत पत्रावली [illegible] दिनांक 19/6/24 को पेश हो। | |
| | 19/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। ~~वकील~~ अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। [illegible] अन्तिम [illegible] वादी को [illegible] किया जाता है। [illegible] जारी शामिल पत्रावली [illegible] फैसला शुमार होकर [illegible] हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:21 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 273/2023
निर्णय दिनांक : 19.06.2024

1. जयराम पुत्र श्री सुज्या जाति जाट निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोविन्द बिल्ड प्रोजेक्ट एल.एल.पी. जरिये डायरेक्टर गोविन्द कुमार गुप्ता पता प्लाट नं० सी–13, 14 मोती मार्ग, बापू नगर, लालकोठी, जयपुर
2. संगीता गुप्ता पत्नि गोविन्द कुमार गुप्ता निवासी प्लाट नं० सी–13, 14 मोती मार्ग, बापू नगर, लालकोठी, जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

## दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955

## निर्णय

वादी की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे वादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 30 के खसरा नम्बर 371/630 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 373/633 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 679/368 रकबा 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 680/634 रकबा 0.0200 कुल खसरा 4 कुल रकबा 0.1800 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व जमाबन्दी मे वादी के नाम से दर्ज है। ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे ही वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 371/630 व 373/633 के लगवा पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 0.7800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 373/642 रकबा 0.0200 हैक्टयर खसरा नम्बर 370 रकबा 0. 2800, हैक्टयर स्थित है इस वाद पत्र मे वादी की कृषि भूमि ही वाद पत्र मे वादग्रस्त है जिसे आगे वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है। वादी अ[illegible]ज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमाफिया प्रवृति के लोग है जो अपनी कृषि भूमि वर्तमान में [illegible] संख्या 1 व 2 ने कई बार वादी को अपनी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय करने के लिए कहा वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण आये जान वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि मे कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा धमकी देते है या तो आप हमे अपनी भूमि विक्रय कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दो नही तो हम जोर जबरन से तुम्हारी भूमि कब्जा कर लेगे व इसमे भी निर्माण करवा देगे। दिनांक 28—12—2023 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कुछ मजदुर लेकर वादी की भूमि पर आये व जबरन से वादी की भूमि मे बाउण्ड्रीवाल बनाने के आशय से जे.सी.बी. मशीन नीव खुदवाने का प्रयास किया इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विरोध किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा वादी को एलानिया धमकी दी कि तुझे पहले ही कहा था अपनी भूमि हमे बेच दे परन्तु तुम नही माने अब हम तुम्हारी भूमि पर जोर जबरन से कब्जा करके रहेगे अगर तु बीच मे आया तो मेरे हाथ पैर तुडवा देगे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की वादग्रस्त भूमि में नीव खोद दी व निर्माण समग्री डलवाकर बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार हांसिल नही है कि वह जोर जबरन से वादी के वैध हक व अधिकारो की वादग्रस्त भूमि पर जोर जबरन से निर्माण कार्य कर कब्जा कर लेवे यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो वादी अपने वैध हक हकूको की भूमि से सदैव के लिए महरूम हो जायेगा जिससे वादी को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद बहक वादी विरूद प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेः—

क. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या । व 2 वाद पत्र के मद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 371/630 व 373/633 ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर या उसके किसी अंश पर जोर जबरन से कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास न करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें। ऐसा न तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार व दिगर व्यक्ति से करावे। तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

ख. यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद रजिस्टर नोटिस उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:21 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद पत्र के मद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 371/630 व 373/633 ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुरा,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर या उसके किसी अंश पर जोर जबरन से कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास न करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें। ऐसा न तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार व दिगर व्यक्ति से करावे। तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 371/630 व 373/633 का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

( हिम्मत सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:21 IST
Reason: SelfAttested